केबल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा

*111. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केबल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा प्रदान करने की मांग की जा रही

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक सरकार ने इस मांग पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि केबल टी.वी. नेटवर्क की स्थापना एवं इसके प्रचालन को पहले ही अचल परिसम्पत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में अधिकतम 10 लाख रु. के निवेश वाले लघु सेवा एवं व्यापार (उद्योग संबंधी) उद्यम के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र कार्यकलाप के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये यूनिटें, लघु उद्योगों को उपलब्ध सभी लाभों को प्राप्त करने की पात्र होंगी।

Industry Status to the Cable Business

†*111. SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that demand is being made to grant industry status to the cable business;

(b) if so, whether the Government have considered this demand, so far; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) The Minister of Industry has informed that installation and operation of cable TV network has already been recognised as an activity eligible for registration as "Small Scale Service and Business (Industry Related) Enterprises (SSSBEs)" with investment limit upto Rs. 10 lakh in fixed assets (excluding land and building). These units will be eligible for all the benefits available to Small Scale Industries.

श्रीमती सविता शारदा: उपसभापति महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूं कि अन्य कौन-कौन से व्यवसायों को इसके अंतर्गत लिया जाएगा और इसके जितने भी कानून वगैरह हैं जो सभी व्यापारों के लिए हैं क्या वे इसमें भी निहित रहेंगे और वे लागू करेंगी? इसके अलावा, इनके द्वारा इस व्यवसाय को करने के लिए और इनके पास क्या-क्या कार्यक्रम हैं?

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्रीमती सुषमा स्वाराज: महोदया, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है। आई.डी.बी.आई. एक्ट के तहत उसको बाकायदा उसकी सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जिनके द्वारा पहले ऋण नहीं मिल सकता था अब एंटरटेनमेंट सेक्टर की सभी की सभी चीजों को जिसमें केबल नेटवर्क भी शामिल है, इनको वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलना शुरू हो जाएगा और यही सबसे बड़ी चीज है जो केवल आई. एण्ड बी. से संबंधित है, बाकी सारा का सारा उद्योग विभाग का मामला है।

श्रीमती सविता शारदा: मंत्री महोदया, केबल पर जो इतने सारे चैनल्स आते हैं उनमें अनेक तरह की हमको दुविधा अनुभव होती है। क्या चैनल्स पर भी उस व्यवसाय के अंतर्गत ऐसी कोई कठोर उनके लिए सीमा रखेंगे? वे चैनल्स, केबल वाले भी जो प्रायवेट चैनल्स दिखाते हैं अब आप मानेंगी नहीं कई बार हम अपनी फेमिली के साथ वे चैनल्स नहीं देख पाते तो क्या आपका इनके ऊपर कोई कठोर सीमा या नियंत्रण होगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमारे यहां एक तो केबल एक्ट है और एक प्रोग्रामस् को बनाने के लिए ये जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं ये केबल के माध्यम से ही देखे जा सकते हैं और केबल के थ्रू ही इनका ट्रांसमिशन होता है। प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइज़मेंट कोड हमारे सभी चैनल्स पर लागू हैं, चाहे वे सैटेलाइट चैनल हों या केबल चैनल हों। अगर कोई उन कोड्ज का वायलेशन करता है तो केबल एक्ट के तहत उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। केबल एक्ट में अभी पिछले दिनों संशोधन करके यह चीज़ भी डाली गई है कि अगर कोई केबल वाला स्वयं अपनी ओर से उस प्रोग्राम कोड को या एडवर्टाइज़मेंट कोड को वायलेट करता है तो उसके लिए वह सीधा जिम्मेदार है और अगर किसी चैनल के माध्यम से आता है तो वह चैनल उसके लिए जिम्मेदार है। केबल एक्ट में यह संशोधन इसलिए किया गया है कि अश्लील कार्यक्रम नहीं दिखाए जाएं और इन कोड्ज़ का वायलेशन नहीं हो।

श्री संजय निरुपम: उपसभापति महोदय, केबल बिज़नैस हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकसित हुआ है और निश्चित तौर पर बेरोज़गारों को रोज़गार देने के क्षेत्र में इस बिज़नैस का एक बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दुस्तान के हर शहर में जो अनएम्पलयड यूथ था उसने इस धंधे को अपनाया और छोटे स्तर से डिवैलप करते-करते इस पूरे बिजनैस को बहुत तेजी से वे आगे ले कर चले गए। केबल इंडस्ट्री को भले ही इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है लेकिन आज भी यह उद्योग एक असंगठित उद्योग की स्थिति में है, क्योंकि केबल आपरेटर्स द्वारा, जो टीवी देखने वाले हैं या जिनके यहां चैनल पहुंचाना है, उनसे कितनी फीस लेनी है, यह आज भी निर्धारित नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में कुछ रेट है, दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रेट हैं, बिहार में कुछ रेट है और यू.पी. में कुछ रेट है। तो सब से पहले केबल ऑपरेटर्स की जो फीस होती है, जो कि रेज़ीडेंट्स से पर कनैक्टिविटी फीस लेते हैं, उस फीस को निर्धारित करने की दिशा में क्या कोई कार्यक्रम बनाया

जा रहा है या कोई निर्णय लिया जा रहा है? दूसरी बात, केबल ऑपरेटर्स को जो राज्य सरकारों को जो एंटरटेनमेंट फीस के रूप में पैसा देना पड़ता है उसकी दर भी राज्यों में अलग-अलग है। अभी पे-चैनल भी आ गए हैं। इसलिए हर केबल आपरेटर पर अलग-अलग खर्चे आ रहे हैं। किसी केबल ऑपरेटर को पे-चैनल की वजह से कुछ पैसा देना पड़ता है और किसी केबल आपरेटर को कुछ पैसा देना पड़ता है तथा राज्य सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स के तौर पर कुछ देना पड़ता है। चित्र बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात आपने की कि ..... (व्यवधान)

उपसभापति: अभी तीसरी बात आप यह कहिए कि कोई यूनिफॉर्म पालिसी बनायेंगे या नहीं।

श्री संजय निरुपम: मैडम, एक चीज़ और जोड़ देता हूं।

उपसभापति: तीन सवाल नहीं पूछ सकते, आपने दो सवाल पहले ही कर दिए हैं। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: आपने कहा कि यह एक स्माल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन धीरे-धीरे बड़ी कंपनियां भी इसमें आ रही हैं। कनवर्जेंस का जमाना आ रहा है, आप्टिक फाइबर का जमाना आ रहा है। कनवर्जेंस का जमाना आने के बाद सरकार कह रही है कि कनवर्जेंस रिएल्टी है। उसके बाद केबल आपरेटर्स को सैक्युरिटी देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार के पास इस समय क्या कोई योजना है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, माननीय सांसद् ने प्रश्न पूछते समय ज्यादातर जोर इस बात पर दिया है कि राज्यों में करों की दर भिन्न-भिन्न है और हर केबल आपरेटर अलग-अलग ढंग से पैसा वसूलता है और जैसा कि आपने भी चेयर से कहा कि क्या कोई यूनिफॉर्म पालिसी बनायेंगे, तो सब से पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और बाकी सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि एंटरटेनमेंट राज्यों का विषय है। इसलिए इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी केन्द्र सरकार की तरफ से लागू नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम एक स्लैब हम तय कर दें, एक सीलिंग ऐसी तय कर दें कि उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट टैक्स न लिया जाए। इसके लिए जो सभी राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, वहां इस विषय को हमने रखा था, लेकिन वहीं के वहीं कोई फैसला नहीं हो सका। वैसे हो भी नहीं सकता था, क्योंकि विषय काफी जटिल था। तब हमने 9 राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित कर दी मेरी चेयरमैनशिप में और मेरे एमओएस इसके को-चेयरमैन हैं। उसकी मीटिंग्ज हम लोग कर रहे हैं। उसमें अभी पीछे हम लोगों का फिक्की की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रेज़ेंटेशन उन लोगों के सामने हुआ था। उन्होंने अपनी ओर से भी एक इस तरह का सम्मेलन बुलाया था। इस तरफ हम लोग अभी लगे हुए हैं। एक दर पर यूनिफॉर्मिटी तो नहीं हो सकती। आपको मालूम होगा कि सेल्स टैक्स में भी इस तरह का मसला था। जहां पर विषय राज्य के स्तर पर होता है वहां पर यह विविधता रहती ही है। लेकिन केन्द्र की तरफ से सेल्स टैक्स में एक कोशिश की गई थी कि कोर प्राइस तय कर दी जाए जिससे नीचे सेल्स टैक्स न जाए। एंटरटेनमेंट टैक्स में इससे

उल्टा है। वहां हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सीलिंग तय कर दी जाए ताकि उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट टैक्स न जा पाए। इन सारे रिप्रेजेंटेशंज़ और ये जो प्रयास हमारे स्तर पर हो रहे हैं इनसे मुझे लगता है कि जरूर कोई चीज़ ऐसी निकलेगी जिसमें एक सीलिंग हम लोग तय कर पायेंगे और सब राज्य सरकारों को लिखेंगे। हमारी तो एक पर्सुएशन की भूमिका है। अब क्योंकि यह कंकरंट लिस्ट का सब्जैक्ट नहीं है, यूनियन लिस्ट का सब्जैक्ट नहीं है, इसलिए कोई यूनिफार्मिटी हम अपनी ओर से लाद नहीं सकते, लेकिन एक कंसेंसस, सर्वानुमति बना करके राज्य सरकारों को लिख सकते हैं कि इससे उद्योग के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए आप कम से कम यह सीलिंग अवश्य रखिए और इससे ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स मत ले जाइये। और जब एंटरटेनमेंट टैक्स की एक यूनिफॉर्म सीलिंग राज्य सरकार मान लेगी तो काफी हद तक ये समस्या सुलझ जाएगी जिसे माननीय सांसद ने यहां रखा है। उसी के साथ आखिर ये लोग जो टी.वी. व्यूअर्स से पैसा लेते हैं क्योंकि यह एक निजी उद्योग है, इसलिए लोग अपने-अपने बुके बनाते हैं और पैसा देते हैं। मैडम, यहां एक चीज मैं माननीय सांसदों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इन सारी चीजों में काफी से ज्यादा सुधार के लिए एक और प्रयास हम कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लाने का कर रहे हैं और यह कंडीशनल एक्सेस सिस्टम अगर केबल इंडस्ट्री में आ जाता है तो फिर जो चैनल्स आप देखना चाहेंगे, वही चैनल्स आप के घर में दिखायी देंगे। केबल ऑपरेटर आप से आकर पूछेगा कि आप कौन-कौन से चैनल्स देखना चाहते हैं। फिर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के माध्यम से आप अपने बुके स्वयं बना सकेंगे। केबल ऑपरेटर आप को बताएगा कि इस चैनल का इतना पैसा और इस चैनल का इतना पैसा देना होगा। अगर आप 80 रुपए या 100 रुपए देकर कुछ चैनल्स देखना चाहते हैं तो आप चुन लेंगे कि ये चार चैनल्स हमें दिखा दीजिए और हम 80 या 100 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहते। मैडम, उस के लिए हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिस की काफी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और काफी आगे भी हम लोग बढ़ गए हैं, लेकिन आप जानती हैं कि जब कोई नया सिस्टम आ जाता है जोकि तकनीकी चीजों से संबंधित हो तो उस में बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है। सभी स्टेक होल्डर्स से हम लोग बात कर रहे हैं और यह कंडीशनल एक्सेस सिस्टम हम लागू कर देते हैं तो फिर 90 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जिसकी चिंता अभी माननीय सांसद ने प्रकट की है।

उपसभापति: अभी सविता जी ने भी जो चिंता प्रकट की थी उस पर भी पाबंदी हो जाएगी।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैडम, श्री निरुपम जी ने जो सवाल किया था, मैं छोटे-छोटे शहरों के केबल ऑपरेटर्स के सवाल को और आगे ले जाना चाहता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले मंत्री जी की मुंबई में एक प्रेस कांफरेंस हुई थी जिस के बारे में सब जगह समाचार छपा था। मैडम, अब ये केबल की व्यवस्था छोटे-छोटे गांव तक पहुंच चुकी है और वहां के केबल ऑपरेटर्स की समस्याएं भी अलग किस्म की हैं। अब जो बड़े ऑपरेटर्स यहां तक पहुंचते हैं या मिलते हैं उन के द्वारा बड़े ऑपरेटर्स की समस्या आप के पास आती है, लेकिन छोटे ऑपरेटर्स की समस्या जैसा कि निरुपम जी

ने भी बताया अलग किस्म की है। अब आप जो नए सुधार करने जा रही हैं तो क्या आप सदन को एश्योरेंस देंगी कि छोटे ऑपरेटर्स की समस्या के समाधान के लिए आप चाहे कुछ अलग यूनियन के गठन की बात हो आप वह सुविधा देंगी ताकि वे अपनी समस्या का समाधान अपने तरीके से कर सकें? क्या ऐसी व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, पहले तो मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि चूंकि मुंबई में बैठक हुई, इसलिए यह धारणा बना लेना कि हम केवल महानगरों के केबल ऑपरेटर्स से संबंधित समस्याओं की ही चर्चा कर रहे थे, यह सही नहीं है। मैंने अभी एक शब्द ''स्टेक होल्डर्स'' इस्तेमाल किया। महोदया, इसीलिए हम लोगों ने जो टास्क फोर्स बनायी है, उस में स्टेक होल्डसर हैं जो कि इंडपेंडेंट केबल ऑपरेटर्स की प्रतिनिधि भी हैं। महोदया, कोई भी नीति जब तक सभी लोगों के हित को देखने वाली नहीं बनेगी तब तक वह नीति कामयाब नहीं हो सकती। अब देश में सिर्फ महानगर हैं और उस के बाद कुछ सैटेलाइट टाउंस हैं, लेकिन जब तक गांवों में और छोटे कस्बों में जो केबल गया है, उस तक हम अपनी नीति नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारी नीति कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिह हम जो केबल ऑपरेटर्स हैं, इंडपेंडेंट केबल ऑपरेटर्स हैं, जो एम.एस.ओस. के फ्रेंचाइजी नहीं हैं, ऐसे ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं और जो नीति बनेगी वह सर्व-सम्य बनेगी व सभी लोगों के हित को सामने रखकर बनेगी।

SHRI B.J. PANDA: Madam, the cable TV industry, in this country, represents a remarkable facet of entrepreneurship. In precisely one decade, the small cable TV entrepreneurs have created almost 40 million connections across the country. This is remarkable, Madam, because, in almost a century, even the telecom sector, in this country, has not yet achieved 30 million connections. This is remarkable for another reason also. Although questions have been put about the cable TV charges and the services provided, the fact remains that cable TV charges in India are almost one-tenth of similar cable TV services provided in developed countries. I am not saying that there is no need for regulation; I am not saying that there is no need for uniformity, but it has to be recognised that despite all odds, the Indian cable TV industry has made a remarkable development.

Despite that, Madam, it is also unique, in that it remains a very fragmented industry; it is unique that for these 40 million cable T.V. connections across the country, there are more than 30,000 small, medium and large cable networks. This is remarkable because, in terms of number of networks, the U.S., for instance, has hardly a couple of hundred networks taking care of the entire connections across the country. This is because the cable T.V. industry is not treated like a small-scale industry in the developed world; it is treated as analogous to the telecom industry, and is part of the ongoing convergence revolution across the

world. I would like to cite one example. The Internet revolution has been on in this country for about four or five years, and the brightest aspect of the Internet revolution is the potential that a broad-band connection provides, i.e., a high speed connection to the Internet for the transformation of countries like India. It is remarkable that, world-wide, more than two-thirds of broad-band Internet connections are provided by the so called cable modems. These are new technology modems making high speed Internet connections possible on these very same cable networks that we are talking about—70 per cent, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put the question. You have given valuable information, but the question has to be there.

SHRI B.J. PANDA: Right, Madam. I am just giving a background to make the question relevant. The question is this. I would like to compliment the hon. Minister for taking the initiative by providing a thrust to the cable T.V. industry; for example, a conditional access system which will provide the opportunity to the customers to pay only for that which they wish to watch. But this is not enough. The cable T.V. industry operates in a grey area, fragmented, without legal rights of way. I would like to seek the Minister's opinion on whether any steps can be taken to take this grey area element, to take this criminal element, that sometimes pervades the industry, out of this industry by providing the basis for legal rights of way for the cable T.V. networks to operate. I know that such provisions are there in the proposed Convergence Bill, but since that is taking time, can any interim measures be taken to provide legal rights of way?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, जैसा आपने कहा। माननीय सांसद ने बहुत वेल्युएबल इन्फोरमेशन दी। उसके साथ साथ उन्हें यह भी मालूम है कि जहां तक केबल इण्डस्ट्री का सवाल है, केबल इण्डस्ट्री की ग्रोथ तो हुई है, लेकिन हेफाजार्ड ग्रोथ हुई है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ हुई है, किसी तरह के कायदे-कानून के बिना ग्रोथ हुई है और इसलिए काफी ज्यादा समस्यायों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अब जो उन्होंने बात कही राइट आफ वे की, यह कहा कि क्या हम उनको रेगुलेटेड वे में कर सकते हैं, तो उनकी जानकारी में यह चीज है कि जो कनवरजेन्स कम्युनिकेशन बिल हमारे यहां आ रहा है, वह खास तौर पर इन्हीं तमाम चीजों को रेगुलेट करने के लिए आ रहा है और देखा जाए तो केबल इण्डस्ट्री से सबक सीखकर ही फाइबर आप्टिक्स बिछने से पहले हम उस बिल को ला रहे हैं ताकि जिन समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है केबल इंडस्ट्री में हेफाजार्ड ग्रोथ के चलते, अनरेगुलेटेड ग्रोथ के चलते, कि तारें बिछ गई लेकिन फिर से कंपलाइस सिचुएशन हो गई और उनको रेगुलेट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए कनवरजेन्स कम्युनिकेशन बिल में इन तमाम चीजों के बारे में एहतिहात बरती गई है, प्रावधान किए गए हैं, बिल हाऊस के अंदर इण्ट्रोड्यूस हो चुका है, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को गया हुआ है और जैसे ही यह बिल पास

होगा, यह राइट आफ वेज के बारे में या फाइबर आप्टिक्स में इण्डस्ट्री कैसे आगे पनपेगी, इस सबके बारे में एक रेगुलेटर आकर बैठेगा, इसको रेगुलेट करेगा। सरकार की ओर से इस मामले में जो जल्दी की गई है उसके लिए सरकार प्रशंसा और सराहना की पात्र है।

*112. [The questioners (Shri P. Prabhakar Reddy and Prof. R.B.S. Varma) were absent. For answer, *vide* page 30 *infra*]

Water crisis in Delhi

*113. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) the per capita availability of piped/potable water in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore and Hyderabad;

(b) whether Delhi is heading for a serious water crisis in near future; and

(c) if so, the steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The per capita availability of piped/potable water in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore and Hyderabad is as under:—

Sl. No.	Name of City	Per Capita Availability As on March, 2001
1.	Delhi	180 lpcd
2.	Mumbai	168 lpcd
3.	Kolkata	173 lpcd
4.	Chennai	106 lpcd
5.	Bangalore	80 lpcd
6.	Hyderabad	95 lpcd

(b) and (c) The total requirement of potable water in Delhi for all uses has been assessed at 800 MGD (Million Gallon Daily) Against this, 650 MGD of potable water is produced by Delhi Jal Board at present by optimizing production from various sources like the river Yamuna, Bhakra Storage, Upper Ganga Canal and underground sources.